मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
(मंत्रालय)

क्रमांक एफ. बी. 25/28/94/पी डब्ल्यू सी/चार, भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर, 1994.

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय कमिश्नर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

विषयः-- शासकीय सेवकों का वेतन निर्धारण.

राज्य शासन के ध्यान में यह लाया गया है कि पेंशन प्रकरणों के त्वरित निराकरण में एक बड़ा व्यवधान नियत समय पर वेतन निर्धारणों की जांच न होना और कई प्रकरणों में वेतन निर्धारण सेवा निवृत्ति के मात्र कुछ दिनों पहले कराया जाना है.

2. राज्य शासन द्वारा अब यह निर्णय लिया गया है कि इस कार्य के लिये संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा तथा कार्यालय प्रमुखों को संयुक्त रूप से उत्तरदायी ठहराया जावे तथा उत्तरदायित्व का पालन न होने पर त्रुटिकर्ता अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जावे.

3. कार्यालय प्रमुख की जिम्मेदारी होगी कि वे वेतन निर्धारण के प्रकरण सही समय पर संबंधित संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा को भेजें. विभागाध्यक्ष अधीनस्थ कार्यालय प्रमुखों के इस कार्य की नियमित समीक्षा करेंगे.

4. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा तथा उनके संभाग के कार्यालय प्रमुख समय पर वेतन निर्धारण तथा निर्धारित वेतन के अनुसार वेतन नियमन के लिये उत्तरदायी रहेंगे. उनका यह भी दायित्व होगा कि, किसी प्रकरण में (frivolous objection) न लगायें जायें. इस कार्य की समीक्षा संचालक, कोष एवं लेखा तथा संचालक, पेंशन एवं कर्मचारी कल्याण द्वारा समय-समय पर की जावेगी. विलंब अथवा अव्यवहारिक आपत्तियों के मामलों में वे संयुक्त संचालक को सचेत करेंगे.

5. राज्य शासन यह स्पष्ट करता है कि इस कार्य के प्रति किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की उदासीनता को शासन अत्यन्त गंभीरता से लेगा.

हस्ता./-

(एस. जी. लिमये)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग.

पृ.क्र. एफ. बी. 25/28/94/पी डब्ल्यू सी/चार, भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर, 1994.

प्रतिलिपिः--

(1) राज्यपाल के सचिव/सैनिक सचिव, मध्यप्रदेश भोपाल.
सचिव, लोक सेवा आयोग मध्यप्रदेश इन्दौर.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय, मध्यप्रदेश भोपाल.
अवर सचिव, (स्था.), अवर सचिव (अधीक्षण) ,मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय,भोपाल.
समस्त वित्तीय अधिकारी/लेखाधिकारी/कोषालय अधिकारी मध्यप्रदेश (पेंशन) की ओर सूचनार्थ अग्रेषित.

(2) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, मध्यप्रदेश, ग्वालियर.
महालेखाकार, (आडिट) प्रथम/द्वितीय, मध्यप्रदेश, ग्वालियर.
महालेखाकार, मध्यप्रदेश भोपाल.
(3) सचिव, विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ.
(4) रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ.
(5) संचालक, पेंशन तथा कर्मचारी कल्याण, मध्यप्रदेश,भोपाल की ओर सूचनार्थ (अग्रेषित).

(6) जनसम्पर्क अधिकारी, कमरा नं. 424-ए, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित.

(7) प्रान्ताधयक्ष, मध्यप्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ, आवास क्रमांक-110/15, शिवाजी नगर, भोपाल.

(8) प्रान्ताध्यक्ष, मध्यप्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ, कम्युनिटी हाल, न्यू मार्केट, टी. टी. नगर भोपाल.

(9) प्रान्ताध्यक्ष मध्यप्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ, (श्री एस. एन. तिवारी गुट)आवास क्र.23/55, तुलसी नगर, भोपाल.

(10) प्रान्ताध्यक्ष, मध्यप्रदेश लघुवेतन कर्मचारी संघ, आवास क्र. 12/5 साउथ टी. टी. नगर, भोपाल.

(11) महामंत्री, मध्यप्रदेश शिक्षक कांग्रेस, ई-4/45 बंगले, नार्थ टी. टी. नगर, भोपाल.

(12) महामंत्री, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी संघ, आवास क्रमांक-48/26, टी. टी. नगर, भोपाल.

(13) अध्यक्ष, मध्यप्रदेश सचिवालयीन कर्मचारी संघ, वल्लभ भवन, भोपाल.

(14) प्रान्ताध्यक्ष, मध्यप्रदेश शिक्षक संघ, आवास क्रमांक-69/1, साउथ टी. टी. नगर भोपाल.

(15) पेंशनर्स कल्याण मंडल के सभी सदस्यगण.

हस्ता./-

(के. एन. पन्त)

अवर-सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग.